



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-31.05.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0088/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार गौड़ पुत्र स्व0 विपत गौड़ निवासी हृदयपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-31.05.2024 को माननीय न्यायालय JM-II वाराणसी द्वारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजकुमार गौड़ उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि(07 दिवस) व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।